FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

L.D. Case No.- 167/2023

Bhikhari Besra & Ors. ....Appellants.

Versus

Surya Narayan Besra.….. Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.8.2025	(see order below)	

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, धमदाहा, पूर्णिया द्वारा BLDR Case No. 08/2022-23 में दिनांक-15.7.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/ थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
धमदाहा	कुकरौन/194/1	354	2528	$7\,^{1}/_{4}$ डी.
			2529	$69\,^{3}/_{4}$ डी.

दिनांक-31.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी की ओर से Written Note of Argument दाखिल है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि राजस्व अभिलेख के अनुसार अपीलार्थीगण के पिता भैया बेसरा प्रश्नगत जमीन के सिकमीदार रैयत थे। अपीलार्थीगण का कहना है कि वर्ष-2014-15 में अंचल अधिकारी, धमदाहा द्वारा BT Act की धारा 48D के तहत वाद सं0-86/2014-15 में पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमीन पर उनको कायमी रैयत घोषित किया गया। जिसके आधार पर उनके नाम से जमाबंदी संख्या-3134 सृजित हुआ तथा प्रश्नगत जमीन पर उनका Legal Right Create हुआ। उनका यह भी कहना है कि विपक्षी की ओर से दायर BLDR Case No- 8/2022-23 में नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें पता चला कि विपक्षी द्वारा फर्जी पंचनामा बटवारा के आधार पर अंचल कार्यालय, धमदाहा में नामांतरण वाद सं0-1618/16-17 में दिनांक-17.10.2016 को प्रश्नगत जमीन का गलत नामांतरण सृजित करवा लिया गया है। जिसके विरूद्ध उनके द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0-19/22-23 भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में दायर किया गया। सुनवाई में उपस्थापित कागजातों से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा उक्त नामांतरण अपील वाद में स्वीकृत नामांतरण को खारिज करते हुए अंचल अधिकारी, धमदाहा को Remand किया गया है। जिससे विपक्षी का दावा खारिज होता है। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा उपस्थापित उपरोक्त तथ्यात्मक एवं कानूनी बिन्दुओं को Negate करने हेतु विपक्षी की ओर से कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उपरोक्त कानूनी एवं तथ्यात्मक बिन्दुओं को Overlook करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। अतः तदनुसार निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा) द्वारा BLDR Case No. 08/2022-23 में दिनांक- 15.7.2023 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए इस अपील वाद को स्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को अनुपालन हेतु भेजें।

Ryek.
18/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

लेखापित एवं शुद्धित।

Ryek.
18/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया